रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07062023-246321
SG-DL-E-07062023-246321

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]	दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2023/ज्येष्ठ 16, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 88
No. 172]	DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2023/ JYAISHTHA 16, 1945	[N. C. T. D. No. 88

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण पूर्व)
प्रारंभिक अधिसूचना

दिल्ली, 6 जून, 2023

फा. सं. ए/डी/एम/एल.ए.सी/द०पू०/2023/10/पार्ट-II/135.—भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2740 (अ) दिनांक 21 अक्तूबर 2014 को एस.ओ. 2014 (अ) दिनांक 21.07.2015 के साथ पठित उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल को प्रतीत होता है, उपयुक्त सरकार होने के नाते सराय काले खां से मयूर विहार नई दिल्ली तक शुरू होने वाली बारापुल्ला नाला के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण हेतु परियोजना के तीसरे चरण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जिला दक्षिण पूर्व में सब डिवीजन डिफेंस कॉलोनी के नगली रजापुर गांव में कुल 6298.437 वर्गमीटर (0.6298437 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है । सामाजिक प्रभाव आकलन यूनिट स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा। एक सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन किया। गया था और एसआईए ने 14 मार्च, 2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उचित मुआवजा और

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) के नियम 4 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा गठित एक टीम ने प्रारंभिक जांच की थी। सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सारांश निम्नानुसार है (एसआईए रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्नक ए के रूप में संलग्न है।)।

भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संयुक्त सर्वेक्षण के दोरान कुल **5** परिवार पाए गए, हालाकि किसी भी परिवार के विस्थापित होने की संभावना नहीं है। संयुक्त सर्वेक्षण के दोरान किसी भी प्रकार के वृक्ष एवम संरचना नहीं पाए गए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण पूर्व, राजस्व विभाग दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनः स्थापन के उद्देश्य के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए अधिग्रहण के अधीन मापन 6298.437 वर्गमीटर (0.6298437 हेक्टेयर) भूमि का हिस्सा जिला दक्षिण पूर्व में सब डिवीजन डिफेंस कॉलोनी के नगली रजापुर गांव में उपरोक्त परियोजना के लिए अधिसूचित किया जाता है. जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण

क्रं सं	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर)	मालिक का नाम	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमायें				विवरण
							उ	द	पू	प	
1.	8मिन (नवीन खसरा संख्या 8/2//1),	निजी	कृषि (सैलाब, नदी बांध)	0.2786240 (2786.240 Sqm.)	शामलात तरफ	थोक हीरा सिंह एवं थोक रामबक्श मुताबिक उनके हिस्सेनुसार	खसरा संख्या 8/1	खसरा संख्या 8/2//2	खसरा संख्या 6/1/2	खसरा संख्या 13/2/1	अवार्ड संख्या 1/SE/2022-23 में उकेरा गया ततिमा के अनुसार, नवीन खसरा संख्या एवं सीमायें संशोधित की गयी है
2.	13मिन (नवीन खसरा संख्या 13/2/1)	निजी	कृषि (सैलाब, नदी बांध)	0.3512197 (3512.197 Sqm.)	शामलात तरफ	थोक हीरा सिंह एवं थोक रामबक्श मुताबिक उनके हिस्सेनुसार	खसरा संख्या 13/1	खसरा संख्या 13/2/2	खसरा संख्या 8/2/1	खसरा संख्या 1मिन का भाग	अवार्ड संख्या 1/SE/2022-23 में उकेरा गया ततिमा के अनुसार, नवीन खसरा संख्या एवं सीमायें संशोधित की गयी है

वृक्ष	
प्रकार	संख्या
कुछ नहीं	शून्य

संरचना	
प्रकार	आधार क्षेत्र
कुछ नहीं	शून्य

यह अधिसूचना सभी संबंधित के लिए उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत बनाई गई है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि योजना तथा अन्य विवरण हितधारी व्यक्तियों द्वारा कार्यालय, जिला क्लेक्टर, जिला (दक्षिण पूर्व), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और मुख्य परियोजना प्रबन्धक (फलाईओवर), लोक निर्माण विभाग, दिल्ली, में कार्य समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति क्लेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ऐसी किसी भी भूमि का कोई लेन देन नहीं करेगा या लेन देन का कारण नहीं बनेगा अर्थात् बिक्री / खरीद इत्यादि या ऐसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा।

अधिग्रहण की आपत्ति यदि कोई हो तो हितधारी व्यक्ति क्लेक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आपत्ति दायर कर सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली उपराज्यपाल
के आदेश एवं उनके नाम पर,
संतोष कुमार राय, कलेक्टर (जिला दक्षिण पूर्व)

REVENUE DEPARTMENT

Office of the District Magistrate (South-East)

PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 6th June, 2023

F. No. ADM/LAC/SE/2023/10/Part-II/135.—In the exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No S.O. 2740 (e) dated 21 October, 2014, read with S.O. 2014(E) dated 21.07.2015, it appears to Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being the appropriate Government that in total 6298.437 Sq. Mtr. (0.6298437 hectares) land is required in the Nangli Razapur Village of Sub-Division Defence Colony in District South East for public purpose for the 3rd phase of the project, for construction of Elevated Road over the Barapullaha Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, New Delhi. Social Impact Assessment Study was carried out by SIA Unit, School of Human Ecology, Ambedkar University Delhi and SIA report was submitted on 14th March, 2018 extended by the Appropriate Government from time to time. Preliminary investigation was conducted by a team constituted by Collector as laid down under rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Content) Rules, 2014. The summary of the Social Impact Assessment Report/ preliminary investigation is attached as (Annexure A).

There were 5 families at the time of joint survey. However, no family is likely to be displaced due to the proposed acquisition of land. Also, no tree or any other structure was found during the joint survey.

The Additional District Magistrate, South East Revenue District, Government of National Capital Territory of Delhi is appointed as administrator for purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore it is notified that for the above said project in the Nangli Razapur Village of Sub-Division Defence Colony in District South-East, the piece of land under acquisition measuring 6298.437sqm (0.6298437 hectares) whose detailed description is as following:-

S. No.	Survey No./ Khasra No.	Type of Title	Type of Land	Area under acquisition (in Hectares)	Type of Ownership	Name /Address of person interested	Boundaries				Remarks
							N	S	E	W	
1.	8min (new khasra no. 8/2/1)	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.2786240 (2786.240 SqM)	Shaamlat Taraf	Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares	Kh. No. 8/1	Kh. No. 8/2/2	No. 6/1/2	Kh. No. 13/2/1	The new khasra no. & Boundaries are revised as per tatima carved out in Award No. 1/SE/2022-23
2.	13min (new khasra no. 13/2/1)	Private	Agriculture (Sailab River Band)	0.3512197 (3512.197 SqM)	Shaamlat Taraf	Thok Hira Singh & Thok Rambaksh as per their respective shares	Kh. No. 13/1	Kh. No. 13/2/2	Kh. No. 8/2/1	Part of Kh. No. 1min	The new khasra no. & Boundaries are revised as per tatima carved out in Award No. 1/SE/2022-23

Trees	
Variety	Number
Nil	Nil

Structures	
Type	Plinth Area
Nil	Nil

This notification is made under the provisions of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) to all whom it may concern.

The land Plan and other details of the land to be acquired can be inspected by the interested person in the office of the District Collector, District (South East), Revenue Department, Government of NCT of Delhi and Chief Project Manager (Flyover) Public Works Department, Delhi on any working day during the working hours.

Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase etc, or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the collector.

Objection to the acquisition, if any may be filed by the person interested within 60 (Sixty) days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
Government of National Capital Territory of Delhi,

SANTOSH KUMAR RAI, Collector (District South-East)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.06.07 10:53:33 +05'30'